


स्वास्थ्य एवं परिवार  
कल्याण विभाग का  
संगठनात्मक चार्ट






# स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का संगठनात्मक चार्ट (पीएचविंग)

(15 फरवरी, 2012 के अनुसार)



## स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का संगठनात्मक चार्ट

प्रशासनिक एवं एनई विंग  
(15 फरवरी, 2012 के अनुसार)





## लेखा परीक्षा टिप्पणी

की गई कार्रवाई सम्बन्धी नोट्स की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	पैरा/पीए/रिपोर्टों की संख्या जिनके संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा मूल्यांकन के उपरांत लोक लेखा समिति (पीएसी) को एटीएन प्रस्तुत किया गया है।	उन पैरा/पीए /रिपोर्टों का ब्यौरा, जिनकी एटीएन लंबित है		
			मंत्रालय द्वारा पहली बार भी न भेजे गए एटीएन की संख्या	भेजी गई परंतु टिप्पणियों के साथ लौटाई गई और मंत्रालय द्वारा उनके पुनर्प्रस्तुती- करण की प्रतीक्षारत लेखा- परीक्षा वाले एटीएन की संख्या	लेखा परीक्षा द्वारा अंतिम रूप से मूल्यांकित परंतु मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत न किए गए एटीएन की संख्या
1.	1997-1998	1	—	—	—
2.	1999-2000	2	—	—	—
3.	2000-2001	—	—	2	—
4.	2001-2002	4	—	—	—
5.	2002-2003	4	—	—	—
6.	2003-2004	1	—	—	—
7.	2004-2005	5	—	—	—
8.	2005-2006	8	—	1	1
9.	2006-2007	6	—	—	—
10.	2007-2008	—	—	—	1
11.	2008-2009	4	1	—	—
12.	2009-2010	—	1	—	—
13.	2010-2011	—	4	—	—
	कुल	35	6	3	2

टिप्पणी: 7 एटीएन मूल्यांकन हेतु लेखा-परीक्षा के पास हैं।

महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सार

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)  
परिहार्य ब्याज भुगतान

एम्स ने दो अवसरों पर भूमि विकास अधिकारी द्वारा इसे आबंटित भूमि के लिए मैदान के किराए के देय भुगतान में विलंब किया। इसका परिणाम मैदान के किराए के विलंबित भुगतान के कारण प्रदत्त ब्याज के लिए 38.32 लाख रु. के परिहार्य व्यय के रूप में निकला।

वर्ष 2010-11 की रिपोर्ट संख्या 38 का पैराग्राफ 3.1

**सफदरजंग अस्पताल और वीएमएमसी  
व्यर्थ व्यय**

मंत्रालय और अस्पताल के अत्यधिक विलंब और निरूत्साही दृष्टिकोण के कारण नर्सों के लिए स्टाफ क्वार्टरों का विनिर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका जिससे वह इस अभिप्रेत सुविधा से वंचित रह गई। भूमि के अधिग्रहण पर मंत्रालय द्वारा किया गया 1.80 करोड़ रु. का व्यय व्यर्थ हो गया।

**वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट सं. 16 का पैराग्राफ 8.1**

**स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय  
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना  
परिहार्य भुगतान**

करार की शर्तों, जिसमें कैमिस्टों के बिलों से वैट की कटौती हेतु प्रावधान है, का अनुपालन न किए जाने का परिणाम सीजीएचएस, नई दिल्ली द्वारा 8.92 करोड़ रु. के वैट के परिहार्य भुगतान के रूप में निकला।

**वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट संख्या 16 का पैराग्राफ 8.2**